

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 08/2022

दायरा दिनांक 17.02.2022

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

पप्पू उर्फ शिवचरण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया तहसील किशनगंज जिला बारां
- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार सहायक वन संरक्षक बारां

- रेस्पोंडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 24.04.2022

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत सहायक वन संरक्षक बारां के निर्णय दिनांक 27.03.2019 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कापडीखेडा आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर 2000/- रुपये जुर्माना, एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर दो माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व धारणा बनाकर अपीलांट को दोषी न होते हुये भी अतिक्रमी मानकर व सजायाब करके भारी भूल व न्याय का हनन किया है तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। वकील अपीलान्ट ने अपने जबाब में निवेदन किया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) दिनांक 31.12.07 से लागू हो गए हैं एवं इनके निर्मित नियम की अधिसूचना दिनांक 1.1.08 को जारी हो चुके हैं उक्त अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का जिस भूमि पर दिनांक 13.12.05 से पूर्व का कब्जा है उनके कब्जे की भूमि को नियमन किए जाने का प्रावधान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त फरमावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित आराजी नियमन की तारीख में नही आती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी व पश्चातवर्ती अतिचारी



✓

सिद्ध करने बाबत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई भूल नहीं की है।

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]